



E file No- 80-2003(001)/1/2023

संख्या- 5 /2026/ 3883332/ अस्सी -2-2026

प्रेषक,

रविन्द्र

प्रमुख सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में

निदेशक,

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय,

उ०प्र० लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय:- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि विपणन (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1992 के सांख्यिकीय संवर्ग के पदों का वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एवं "उ०प्र० सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012" के प्राविधानान्तर्गत पुनर्गठन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-कृ०वि०कृ०वि०व्या०नि०/965/स्था०-1 /2025-26, दिनांक 20-01-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि विपणन (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1992" से सांख्यिकीय संवर्ग को पृथक करते हुए सांख्यिकीय संवर्ग के वर्तमान ढांचे (पद नाम, शैक्षिक अर्हता, भर्ती की विधि तथा पदों की संख्या), जिसका उल्लेख **तालिका-1** पर किया गया है, को वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-2 में राजकीय विभागों के सांख्यिकीय कर्मचारी संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-2061/दस-54(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एवं "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012" के प्राविधानान्तर्गत **तालिका-2** (पद नाम, पदों की संख्या, वेतनमान, शैक्षिक अर्हता तथा भर्ती की विधि) के अनुसार तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(ii) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि विपणन (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1992 में सांख्यिकीय संवर्ग के अन्वेषक एवं कम्प्यूटर, वेतनमान रू0 1200-30-1560-40-2040 के 04 पद एवं सांख्यिकीय सहायक, वेतनमान रू0 1400-40-1600-50-2300-60-2600 के 03 पद अर्थात् कुल 07 पद हैं , जिसका वर्तमान ढाँचा/विवरण निम्नवत है :-

तालिका -1

क्र० सं०	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या	अनिवार्य अर्हता	अधिमानि अर्हता	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4		5
1	सांख्यिकी-अन्वेषक एवं कम्प्यूटर, वेतनमान रू0 1200-30-1560-40-2040	04	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी में मास्टर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 2-आधुनिक सांख्यिकी में प्रशिक्षण विशेषतया वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर प्रयोक्तव्य।	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
2	सांख्यिकी-सांख्यिकी सहायक, वेतनमान रू0 1400-40-1600-50-2300-60-2600	03	-----	-----	मौलिक रूप से नियुक्त अन्वेषक एवं कम्प्यूटर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
	कुल पद	07			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(ii) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2061/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के प्राविधानान्तर्गत , कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय के उक्त तालिका-1 पर उल्लिखित सांख्यिकीय संवर्ग के उपलब्ध कुल 07 पदों (समूह-दो में अन्वेषक एवं कम्प्यूटर के 04 पद तथा समूह-एक में सांख्यिकीय सहायक के 03 पद) का 60 प्रतिशत अर्थात् 04 पद- सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड पे 4200 प्रथम स्तर पर तथा 40 प्रतिशत अर्थात् 03 पद- अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800, ग्रेड पे 4600 को द्वितीय स्तर पर रखते हुए सांख्यिकीय संवर्ग का निम्नवत तालिका-2 के अनुसार तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन किया जाता है:-

तालिका - 2

क्रम सं०	पद नाम	वेतनमान (रू०में) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित	पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4	5	6
1	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800, ग्रेड पे 4200 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-6)	04 (कुल पदों का 60 प्रतिशत)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकीय या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर में 'ओ' स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा।	1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 2- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 एवं कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-91/ 2812 /47-का-3-14-13/7/2026, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के प्राविधानान्तर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

				(तीन) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। अधिमानि अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने – (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट का बी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।	
2	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड पे 4600 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-7)	03 (कुल पदों का 40 प्रतिशत)	-----	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक सांख्यिकीय अधिकारी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से , पदोन्नति द्वारा।
	कुल पद		07		

3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2061/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के प्राविधानान्तर्गत कृषि विपणन निदेशालय के सांख्यिकीय संवर्ग के पदों का तालिका-2 के अनुसार पुनर्गठन किये जाने के फलस्वरूप 04 पद- सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड पे 4200 (प्रथम स्तर) के पद शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 03 पद- अपर सांख्यिकीय अधिकारी वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड पे 4600 (द्वितीय स्तर) के पद शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र० के सांख्यिकीय संवर्ग का तालिका-2 के अनुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित पदों पर "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2012" प्रभावी होगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशा० सं०-वे०आ०-2-08/दस-2026, दिनांक 31 जुलाई, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या- 5/2026/3883332/अस्सी-2-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० प्रयागराज।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (3) संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- (4) संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र०।
- (5) वित्त (वेतन आयोग) अनु०-1/2, उ०प्र० शासन।
- (6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (7) वित्त (सेवार्ये) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (8) नियोजन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- (9) निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (10) गार्ड बुक/विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।